लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4319

19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पार्वती मिल्स भूमि का उपयोग

4319. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कोल्लम स्थित पार्वती मिल्स के स्वामित्व वाली भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने कोल्लम स्थित पार्वती मिल्स से संबंधित मध्यस्थता मामले के शीघ्र निपटारे के लिए कार्रवाई शुरू की है और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय को जन प्रतिनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और श्रम मंत्रालय से इस विषय में अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें आश्रमम ईएसआईसी मॉडल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को चिकित्सा महाविद्यालय में स्तरोन्नत करने के लिए पार्वती मिल्स के स्वामित्व वाली भूमि को ईएसआईसी को सौंपने का अनुरोध किया गया है और यदि हाँ, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मध्यस्थता मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और मामले के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के अंतर्गत पार्वती मिल, कोल्लम संयुक्त उद्यम (जेवी) रूट के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए निर्धारित 11 मिलों में से एक है। एनटीसी ने संयुक्त उद्यम व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) रद्द कर दिया है। संयुक्त उद्यम भागीदार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थता निर्णय को चुनौती दी है। एनटीसी को मामले के शीघ्र निपटारे के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उचित रूप से पक्ष रखने का सुझाव दिया गया है।

*****